न्यायालय तहसीलदार सरायपाली, जिला– महासमुन्द (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक 4565/क/नायक/तह /2025 सरायपाली, दिनांक 11/09/2025

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सरायपाली
जिला–महासमुंद (छ.ग.)

विषय– वृक्ष कटाई स्थल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।
संदर्भ– आपका ज्ञापन क्र. 2204/क/स्टेनो/अविअ/2025 सरायपाली, दिनांक 10/09/2025

—00—

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम जंगलबेड़ा में सोलर प्लांट मायदगरी प्लांट द्वारा लगाया जा रहा है। उक्त भूमि पर लगे हरे भरे पेड़ को बिना अनुमति के संबंध में मौका जाकर पंचनामा तैयार किया गया है, जिसके अनुसार– दिनांक 11/09/2025 को ग्राम जंगलबेड़ा में स्थित भूमि ख.नं. 391 रकबा 45.47 हे. में स्थित वृक्ष का अवैध कटाई के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार सरायपाली, नायब तहसीलदार सरायपाली, हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में मौका जांच किया गया है जिसके अनुसार मौके पर ख.नं. 390 एवं 391 जो कि राजस्व अभिलेख में छ0ग0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के नाम पर दर्ज है। वादभूमि पर वृक्षों की बिना अनुमति कटाई किया गया है, जिसमें कुल 16 वृक्षों को कटा पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	वृक्ष का नाम	वृक्ष की संख्या	वृक्ष की प्रवृति	मौका में वृक्ष की स्थिति	वृक्ष की मोटाई एवं ऊँचाई	रिमार्क
01.	गुलमोहर	3 नग	फुलदार वृक्ष	जीवित एवं हरे भरे	लगभग मोटाई 4 से 5 इंच और ऊंचाई 12 से 15 फीट	करीब 2 फीट छोड़कर काटा हुआ जमीन से लगा हुआ पाया गया।
02.	आंवला	7 नग	फलदार वृक्ष	जीवित एवं हरे भरे	लगभग मोटाई 4 से 5 इंच और ऊंचाई 12 से 15 फीट	करीब 2 फीट को छोड़ [illegible] जमीन से कटा हुआ पाया गया।
03.	बीजा	1 नग	ईमारती वृक्ष	जीवित एवं हरे भरे	लगभग मोटाई 4 से 5 इंच और ऊंचाई 12 से 15 फीट	करीब 2 फीट को छोड़ छांटा हुआ, जमीन से कटा हुआ पाया गया।
04.	अन्य	5 नग	जलाऊ	जीवित एवं हरे भरे	लगभग मोटाई 4 से 5 इंच और ऊंचाई 12 से 15 फीट	आकाशीय प्रजाति, जमीन से उखाड़ गये हैं

उक्त सभी कटे हुए वृक्षों की हुई लकड़ी मौके में जप्त किया गया तथा ग्राम पंचायत जंगलबेड़ा के सुपुर्द किया गया है।

(हस्ताक्षर)
11/09/2025

मौके पर मैनेजर–: संजय कुमार का शपथपूर्वक कथन लिया गया है जिसके अनुसार– वृक्ष को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा काटा गया है, जिसकी कटाई होने की कोई जानकारी नही होना बताया गया है, जो सिक्यूरिटी द्वारा बताया गया है। उक्त का सिक्यूरिटी ऐजेंसी के अधिकारियों को जांच हेतु बुलवाया गया है, उक्त कथन किया गया है।

अतः प्रारम्भिक जांच में शिकायत सही पायी गई है कि ग्राम जंगलबेडा खसरा नं. 390, 391 जो कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के नाम पर दर्ज है पर लगे 16 वृक्षों को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के द्वारा काटा गया है एवं काटने हेतु कटिंग मशीन का उपयोग किया गया है।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:– 1. मौका पंचनामा।
2. मैनेजर का शपथपूर्वक कथन।

11/05/2025
तहसीलदार
सरायपाली

पंचनामा

आज दिनांक 11/09/2023 को ग्राम- जंगलबेड़ा, प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. सेमलिया, तहसील- सरायपाली, जिला महासमुंद स्थित भूमि ख.नं. 391 रकबा 45.5 हेक्टेयर में स्थित वृक्ष का अवैध कटाई के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर मैं तहसीलदार सरायपाली, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, एवं ग्राम कोटवार एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में शिकायत के संबंध में जांच करने हेतु मौके पर उपस्थित हुआ मौके पर ख.नं. 390 एवं 391 जो कि राजस्व अभिलेख में छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के नाम पर दर्ज है पर कुल 11 वृक्ष कटे हुये पाये गये जिसमें गुलमोहर के 3 नग वृक्ष, आंवला (फलदार) के 7 नग वृक्ष, एवं शीशम (इमारती) के 1 नग वृक्ष करीब 2 फीट की ठूंठ को छोड़ते हुये मशीन से काटा जाना मौके पर पाया गया है कटे हुये वृक्षों की लकड़ियां मौके पर पायी गयी है। सभी कटे हुये वृक्ष जीवित एवं हरे भरे स्थिति में काटे गये हैं कटे हुये वृक्षों की मोटाई लगभग 4 से 5 इंच है एवं ऊंचाई 12-15 फीट है। इसके अतिरिक्त ख.नं. 391 में 5 नग आकाशीय प्रजाति के वृक्ष जे.सी.बी. से उखाड़े गये हैं जिसकी लकड़ी भी मौके पर स्थित है। मौके पर स्थित सभी कटे हुये वृक्षों की लकड़ियों को मौके पर जब्त किया गया एवं ग्राम पंचायत जंगलबेड़ा के सुपुर्द किया गया।

मौके पर पंचनामा पढ़ कर सुना सही पाया गया।

हस्ताक्षर

राजकुमार [illegible]

घासीराम

किशोर

[illegible] (कोटवार [illegible])

सही
PW-1
1/12/2021

शपथ-पूर्वक बयान

नाम - संजय कुमार दाधीच
पिता - अटल मल
निवासी - रामनगर
उम्र - 50 वर्ष

मैं संजय कुमार यह बयान देता हूँ कि मैं मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ। यह दावा करता हूँ कि जो वृक्ष कटे गये हैं वह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा काटा गया है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही सिक्योरिटी द्वारा पता चला हमने इसकी जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इसके लिये हमने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारियों को जांच हेतु बुलवाया है।

दिनांक - 11-09-2023
स्थान - जंगल मेसार
प.ह.न. - 53

Sanjay Kumar Dadhwal
7780898652

सुपुर्दनामा

आज दिनांक 11/09/2025 को ग्राम जंगलबेड़ा प.ह.नं.-53, तहसील - सरायपाली के ख.क्र. 391, 390 में आवेदक के बिना अनुमति के अवैध रूप से कुल 16 पेड़ों (आंवला, बीजा, गुलमोहर, सागौन) को काटा गया है, जिसे मेरे द्वारा जप्त कर ग्राम पंचायत जंगलबेड़ा को सुपुर्द किया गया।

[signature] 11/09/2025

सरपंच
ग्राम पंचायत जंगलबेड़ा
ज.पं.सरायपाली, जि.महासमुन्द (छ.ग.)

सुपुर्द लेने वाला

Tahsildar
Saraipali

सुपुर्द करने वाला
(अपनी कहने वाला)

प्रदर्श D-1
D.W. 1
1/12/2025

–:: कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली ::–

क्रमांक / सपा / 1396

सरायपाली, दिनांक 29/09/2025

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सरायपाली

विषय :– अवैध वृक्ष कटाई के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 2204 / क / स्टेनो / अविअ. / 2025 दिनांक 10.09.2025

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में प्रतिवेदन है कि, श्री धनेश नायक सरायपाली के द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) सरायपाली में आवेदन प्रस्तुत कर, ग्राम जंगलबेडा में सोलर प्लाट गोदावरी प्लाट द्वारा लगाया जा रहा है। उक्त भूमि पर लगे हरे भरे पेड को बिना अनुमति के काटे जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो कि जांच हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आवेदन में कि गई शिकायत की जांच सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली से स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल पर मिश्रित प्रजाति के 21 नग वृक्षों की कटाई की गई है। काटाई किये गये वृक्षों का मेजरमेन्ट किया गया जिसमे मिश्रित प्रजाति के 21 नग वृक्ष =0.453घ.मी. जिसका गैर–वाणिज्यिक दर =1690.00 हुआ है।

अतः प्रतिवेदन अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :– स.प.अ.सरायपाली का जांच प्रतिवेदन की छयाप्रति।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सरायपाली

[Type text]

श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सरायपाली

विषय :- अवैध कटाई के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र/स्प/1347 सरायपाली दिनांक-18/09/2025

=====o=====

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि श्री धनेश नायक सरायपाली के द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम जंगलबेड़ा में सोलर प्लांट गोदावरी प्लांट द्वारा लगाया जा रहा है। उक्त भूमि पर लगे हरे-भरे पेड को बिना अनुमति के काटे जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल पर कटाई किये गये वृक्षों की मेजरमेंट किया गया जिसमें मिश्रित प्रजाति के 21 नग वृक्ष = 0.483 घ0मी0 जिसका गैरवानिकीय दर = 1690:00 रुपये हुआ है।

अतः जांच प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सादर सम्प्रेषित है।

सूची संलग्न :- 1 नग

बयान - 1 नग

सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी
सरायपाली

विवरण

	प्रजाति	लम्बाई	गोलाई	घ.मी.	दर
	आंवला	4.00 मी०	0.30 मी०	0.016	95:00
2	गुलमोहर	3.00 मी०	0.50 मी०	0.040	135:00
3.	आंवला	4.00 मी०	0.40 मी०	0.032	165:00
4.	आंवला	2.00 मी०	0.30 मी०	0.010	75:00
5.	आंवला	3.00 मी०	0.40 मी०	0.020	95:00
6.	गुलमोहर	3.00 मी०	0.40 मी०	0.020	95:00
7.	गुलमोहर	2.50 मी०	0.40 मी०	0.020	95:00
8.	आंवला	3.00 मी०	0.36 मी०	0.020	95:00
9.	आंवला	3.00 मी०	0.40 मी०	0.020	95:00
10.	आंवला	3.00 मी०	0.30 मी०	0.010	75:00
11.	आंवला	3.00 मी०	0.40 मी०	0.020	95:00
12.	रोहिना	2.00 मी०	0.20 मी०	0.005	35:00
13.	सेन्हा	0.60 मी०	0.20 मी	—	—
14.	आकेशिया	2.00 मी०	0.20 मी०	0.005	35:00
15.	आकेशिया	3.00 मी०	0.30 मी०	0.010	75:00
16.	आकेशिया	3.00 मी०	0.30 मी०	0.010	75:00
17.	आकेशिया	3.00 मी०	0.30 मी०	0.010	75:00
18.	आकेशिया	4.00 मी०	0.30 मी०	0.010	95:00
19.	आकेशिया	3.00 मी०	0.20 मी०	0.005	35:00
20.	नीम	3.00 मी०	0.30 मी०	0.010	75:00
21.	पापड़ा	2.00 मी०	0.30 मी०	0.010	75:00
				0.483 घ.मी.	1690:00

[illegible]

सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी